वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

वेब साईट :www.vbspu.ac.in aracademicvbspu@gmail.com

पत्रांक : 2809/शैक्षणिक/2023 दिनांक 22.7.2023

सेवा में,

1 **प्राचार्य/प्राचार्या एवं प्रबंधक**
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर।

2 **समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष**
परिसर पाठ्यक्रम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर।

विषय– प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग की समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं हेतु शैक्षणिक कैलेण्डर 2023–24 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1058/सत्तर–1–2023–16(11)/2014 टी0सी–II ,दिनांक 17 जुलाई,2023 (छाया–प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः शासन के उपरोक्त पत्र की छाया–प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियंत्रक,वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर।
2. प्रो0 मानस पांण्डेय, संयोजक आइ0क्यू0ए0सी0।
3. प्रभारी टेक्निकल सेल, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर।
4. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
5. वरि0 आशुलिपिक वित्त अधिकारी।
6. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
7. जिला प्रतिनिधि दै0 समाचार पत्र दैनिक जागरण/दै0 अमर उजाला/ दै0 हिन्दुस्तान को इस आशय से कि व्यापक जनहित में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में उक्त सूचना को निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

ई–मेल/शैक्षणिक कैलेण्डर–2023–24
संख्या– 1058 /सत्तर–1–2023–16(11)/2014 टी0सी0–II

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 17 जुलाई, 2023

विषयः–प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग की समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं हेतु शैक्षणिक कैलेण्डर 2023–24 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2636/सत्तर–1–2022–16(11)/2014, दिनांक 24 अगस्त, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के हेतु शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क0सं0	शैक्षणिक सत्र 2023–24 का प्रवेश/परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम	दिनांक
प्रथम सेमेस्टर (Odd Semester)		
1.	सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	24.07.2023
2.	प्रथम सेमेस्टर के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए **दीक्षारंभ कार्यक्रम** (One week Student Induction Programme-SIP as per UGC guidelines before/after classes, Session will decide as per time table of HEI)	25.07.2023 से 30.07.2023
3.	सेमेस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये शिक्षण कार्य प्रारम्भ	25.07.2023
4.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	02.11.2023

2023 (2)

5.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि*	10.11.2023
6	सेमेस्टर की परीक्षायें (40 दिन)	11.11.2023 से 20.12.2023
7.	शीतावकाश (15 दिन)	21.12.2023 से 05.01.2024
8.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	10.01.2024
तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर (Odd Semester)		
9.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	17.07.2023
10.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	02.11.2023
11.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि*	10.11.2023
12.	सेमेस्टर की परीक्षायें	11.11.2023 से 20.12.2023
13.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	10.01.2024
द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्टम् सेमेस्टर (Even Semester)		
14.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	06.01.2024
15.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	15.04.2024
16.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि*	20.04.24
17.	सेमेस्टर की परीक्षायें (15 दिन)	21.04.2024 से 30.05.2024
18.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	25.06.2024
19.	ग्रीष्मावकाश (30 दिन)	01.06.2024 से 30.06.2024
वार्षिक प्रणाली (Annual System)		
20.	नये विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि	24.07.2023
21.	प्रथम सेमेस्टर/वर्ष के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए **दीक्षारंभ कार्यक्रम** (One week Student Induction Programme-SIP as per UGC guidelines before/after classes, Session will decide as per time table of HEI)	25.07.2023 से 30.07.2023
22.	नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये शिक्षण कार्य प्रारम्भ	25.07.2023
23	शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (30सप्ताह/180 दिवस)	31.03.2024

24.	प्रयोगात्मक परीक्षायें पूर्ण होने की तिथि	20.4.2024
25.	वार्षिक परीक्षायें	21.04.2024 से 30.05.2024

नोट–

1. *सेमेस्टर प्रयोगात्मक परीक्षायें शिक्षण के अंतिम माह में आरम्भ कर दी जायें।
2. विभिन्न प्रकार की गैर–शैक्षणिक गतिविधियाँ शिक्षण कार्य को प्रभावित किये बिना पूर्ण की जायें।
3. किसी भी परिस्थिति में शिक्षण दिवस कम होने पर शिक्षण कार्य अतिरिक्त कक्षायें/ऑनलाइन कक्षायें संचालित कर पूर्ण की जायें।
4. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर के कक्षायें परीक्षायें समाप्त होने के बाद समय पर आरम्भ कर दी जायें। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्व सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन में कक्षाओं के समय के पश्चात पूर्ण किया जाये।
5. विश्वविद्यालय परीक्षायें वर्ष में दो बार 11.11.23 से 20.12.23 (Odd Semester) एवं 21.04.24 से 30.05.24 (Even Semester) आयोजित की जायेंगी। विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए महाविद्यालयों को केन्द्र बनाया जाता है, जिससे उस महाविद्यालय का कार्य प्रभावित होता है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा निर्धारित समय में ही आयोजित की जायेंगी। परीक्षा के लिए निर्धारित समय के अतिरिक्त किसी भी समय में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय में होने वाली अन्य परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम इस तरह बनायेंगे कि वे परीक्षा के लिए निर्धारित समय में पूर्ण हों विशेष परिस्थिति में अनुमति के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जायेगा। निर्धारित समय के पूर्व/पश्चात परीक्षायें संचालित होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जिम्मेदार होंगे।
6. प्रवेश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व संबंधित कुलसचिव का होगा किसी भी प्रकार की देरी के लिए कुलसचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
7. एन0ई0पी0–2020 के अनुसार विद्यार्थियों का सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे। विश्वविद्यालय सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार का मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं करेंगे। सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए शिक्षक मूल्यांकन

के लिए परीक्षाओं के स्थान पर शासनादेश संख्या—2058 / सत्तर—3—2 —08(33) / 2020 टी0सी0, दिनांक 26—08—2023 में दिये गये सुझावों के आधा पर विद्यार्थियों का सर्वांगीण मूल्यांकन करेंगे। कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेंगे।

8. प्रायोगिक परीक्षा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षण संस्थान (विश्वविद्यालय कैम्पस एवं महाविद्यालय) अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पर प्रायोगिक परीक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग / अपलोड करेंगे, जो संस्थान के चैनल पर उपलब्ध रहेगी। सभी संस्थान निःशुल्क अपना यूट्यूब चैनल बनायेंगे, जिस पर अन्य विविध गतिविधियों को भी अपलोड कर सकते हैं।
9. वर्तमान समय में लिखित / वर्णानात्मक (Descriptive) परीक्षा एवं बहुउत्तरीय (MCQ) परीक्षा का अपना—अपना महत्व है। लिखित परीक्षा से विद्यार्थी अपने ज्ञान को अनेकों प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन बहुउत्तरीय (MCQ) के आधार पर किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परीक्षा / परीक्षा परिणाम समयान्तर्गत पूर्ण करने के लिए विषम (ODD) सेमेस्टर की परीक्षा लिखित / वर्णानात्मक (Descriptive) प्रकार से एवं सम (EVEN) सेमेस्टर की परीक्षा बहुउत्तरीय (MCQ) प्रकार से सम्पादित की जा सकती है।
10. शासनादेश संख्या—600 / सत्तर—1—2019—16(114) / 2010 दिनांक 28.06.2019 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार यू0जी0सी0—2018 के बिन्दु संख्या 8.1 में वर्णित व्यवस्था अनुसार शिक्षक को अधिकतम 30 दिवस का कार्यवकाश (Duty leave-DL) दिया जा सकता है, जिसमें शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे। किसी भी दशा में शिक्षण दिवसों को कम नहीं किया जाये।

भवदीय

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1058(1)/सत्तर–1–2023–16(11)/2014 टी0सी0–II तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. परीक्षा नियंत्रक, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा शासन को सूचित करें।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी/समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)

उप सचिव।